भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3434
जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2015 को दिया जाना है

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का पुनरुद्धार

3434. श्री एंटो एन्टोनीः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां। सरकार द्वारा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को अन्य बातों के साथ-साथ निधि/गैर-निधि आधारित सहायता को शामिल करते हुए कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एक योजना वर्ष 2013 में अनुमोदित की गई थी।

(ख): निधि/गैर-निधि आधारित सहायता में कार्यशील पूंजी के लिए ब्याजमुक्त योजना ऋण के रूप में ₹20 करोड़ का प्रावधान, पूंजीगत व्यय के लिए इक्विटी के रूप में ₹70.38 करोड़ का निवेश, ₹85.81 करोड़ के योजना/योजनेतर ऋण का इक्विटी में परिवर्तन और ₹26.37 करोड़ की ब्याज राशि को माफ करना शामिल है।

कंपनी द्वारा दायर की गई विविध याचिका में बीआईएफआर के आदेश के अनुसरण में कार्यशील पूंजी के लिए ब्याजमुक्त योजना ऋण के रूप में ₹20 करोड़ और ₹31.90 करोड़ (पूंजीगत व्यय के लिए इक्विटी के रूप में निवेश हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए ₹70.38 करोड़ में से) के लिए स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। योजना/योजनेतर ऋण को इक्विटी में परिवर्तन करने तथा ब्याज माफी के लिए भी स्वीकृति जारी कर दी गई हैं।

****